

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 23.3.26

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्राप्त Mother Sanction में से केन्द्रांश में ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि का तथा राज्यांश में ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹32,80,00,000/- (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-334 दिनांक-23.03.2026 से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत बजट उपबंध के आलोक में केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction में से ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि तथा राज्यांश में ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹32,80,00,000/- (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-उक्त स्वीकृति के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की क्रमशः ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) एवं ₹16,40,00,000/- (सोलह करोड़ चालीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹32,80,00,000/- (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि SNA SPARSH के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप व्यय करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों को आवंटित की जाती है।

3- उक्त राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221" पी०एफ०एम०एस० कोड 9488 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5295 दिनांक-09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M.दिनांक-13.07.2025 तथा समय-समय पर SNA-SPARSH हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

5-इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।


6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलाक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जयेगा।

7- व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक-31.03.2026 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।


8-इसी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वसिभाजन
निदेशक।


ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-24-21/2023 335 पटना,दिनांक- 23.3.26
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास
विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा,
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-8डी0/सांख्यिकी
शाखा/आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-24-21/2023 335 पटना,दिनांक- 23.3.26
प्रतिलिपि-सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-24-21/2023 335 पटना,दिनांक- 23.3.26
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु जिलों को SNA-SPARSH के माध्यम से व्यय करने हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र० सं०	जिला का नाम	केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction की राशि	राज्यांश की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	ARARIA	2750000	2750000	5500000
2	ARWAL	762500	762500	1525000
3	AURANGABAD	3000000	3000000	6000000
4	BANKA	1750000	1750000	3500000
5	BEGUSARAI	4500000	4500000	9000000
6	BHAGALPUR	2275000	2275000	4550000
7	BHOJPUR	7668750	7668750	15337500
8	BUXAR	2775000	2775000	5550000
9	DARBHANGA	4756250	4756250	9512500
10	GAYA	9000000	9000000	18000000
11	GOPALGANJ	4543750	4543750	9087500
12	JAMUI	3500000	3500000	7000000
13	JEHANABAD	987500	987500	1975000
14	KAIMUR	5500000	5500000	11000000
15	KATIHAR	3750000	3750000	7500000
16	KHAGARIA	1400000	1400000	2800000
17	KISHANGANJ	2775000	2775000	5550000
18	LAKHISARAI	700000	700000	1400000
19	MADHEPURA	3750000	3750000	7500000
20	MADHUBANI	5525000	5525000	11050000
21	MUNGER	2487500	2487500	4975000
22	MUZAFFARPUR	5043750	5043750	10087500
23	NALANDA	8298750	8298750	16597500
24	NAWADA	5000000	5000000	10000000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	4000250	4000250	8000500
26	PATNA	10062500	10062500	20125000
27	PURBI CHAMPARAN	7000000	7000000	14000000
28	PURNIA	9000000	9000000	18000000
29	ROHTAS	4775000	4775000	9550000
30	SAHARSA	4031250	4031250	8062500
31	SAMASTIPUR	5000000	5000000	10000000
32	SARAN	8500000	8500000	17000000
33	SHEIKHPURA	3225000	3225000	6450000
34	SHEOHAR	402000	402000	804000
35	SITAMARHI	1875000	1875000	3750000
36	SIWAN	6500000	6500000	13000000
37	SUPAUL	2856250	2856250	5712500
38	VAISHALI	4274000	4274000	8548000
	कुल	164000000	164000000	328000000

ज्ञापांक-3/निदेश-पी0ओ0ए0(स्वी0एवं आवं) 24-21/2023- 335

पटना, दिनांक-23.3.26


निदेशक